

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक- 10.11.2011 एवं ज्ञापांक-2905, दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0प0 श्री केदारनाथ पाण्डेय द्वारा सदर प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुमोदित योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल - 02, सोनपुर के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान की गई है तथा पत्रांक 1209 दिनांक 11.10.2019 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन, कार्यप्रमंडल - 02, सोनपुर के द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन की राशि पर प्रधानाध्यापक, परसा उच्च विद्यालय परसा के पत्रांक 06 दिनांक 11.01.2020 द्वारा अनापत्ति संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय विधायक का नाम
1	परसा	परसा उच्च विद्यालय परसा प्रखंड परसा के क्रीडा मैदान में एक शौचालय का निर्माण।	249000.00	249000.00	श्री केदारनाथ पाण्डेय
कुल योग:-			249000.00	249000.00	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- (दो लाख उनचास हजार रुपये मात्र।)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजना का कार्य विभागीय/निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल- 02, सोनपुर द्वारा योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 5255 दिनांक 23.06.14 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार के द्वारा विभागीय/ निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।


कार्यान्वयन की शर्तें

1. योजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
2. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
3. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
4. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
5. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
6. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
8. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
9. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक...247/यो0 दिनांक...27/02/2020

- प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल -02, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- क्रीडागार पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे/।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय स0वि0प0 को सूचनार्थ प्रेषित।


28/02/20
जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।